2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट
का भी वर्णन किया हुआ है। यद्यपि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 के
दस्तावेजात देरी से प्रस्तुत किये गये हैं परंतु उक्त दस्तावेजात हस्ता
से संबंधित तथा सुसंगत होने से कॉस्ट पर रिकॉर्ड पर लिये जाने यो
अतः अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प
आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी 300 रु
पर स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जा
आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक
को पेश हो।

7.11.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, नागौर (राज०)

6.12.25 अधिवक्तागण उपस्थित।
सा. वादी ~~[illegible]~~ की
गवाह उप०। अधिवक्ता प्रतिवादी श्री
गोविन्द बड़वा के सहयोगी अधिवक्ता ने
चाहा कि सीमित अधिवक्ता
परेशान गये हैं। विरह हेतु अवसर
दिये जाने का निवेदन किया अधिवक्ता
वादी द्वारा विरोध किया कि गवाह
वृद्ध एवं बीमार है आगामी तिथि 500/
खर्च पर अवसर दिया जाता है
पत्रावली वास्ते सा. वादी दिनांक 15.12.25
को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, नागौर (राज०)